प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड,हल्द्वानी(नैनीताल)।

सेवा में,

समस्त प्राचार्य,
राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः डिग्री सेवा ।/ 6725-6824 /2016–17 दिनांकः 27 जुलाई, 2017

विषयः **कैरियर एडवांसमेण्ट स्कीम के अन्तर्गत वरिष्ठ/चयन/एसोसिएट वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन–पत्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को वरिष्ठ/चयन/एसोसिएट वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु अर्ह शिक्षकों से निर्धारित प्रारूप में प्राचार्य की संस्तुति सहित आवेदन–पत्र उपलब्ध कराये जाने हैं।

कृपया अपने अधीनस्थ शिक्षकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। संलग्न मुखपृष्ठ प्रारूप को उचित प्रकार पूरित करते हुए आवेदन पत्र के साथ प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र का प्रारूप निदेशालय की वेब साइट में उपलब्ध है।

उक्त आवेदन पत्र दिनांक **30.09.2017** तक निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने आवश्यक हैं। ए0पी0आई0 की गणना के लिए आवेदित वेतनमान की देय तिथि से ठीक पूर्व के वर्षों को सम्मिलित किया जाना है। दृष्टान्त के रुप में यदि किसी प्राध्यापक को चयन वेतनमान 01 अक्टूबर 2017 को देय है तो वह विगत पॉच वर्ष की ए0पी0आई0 2012–13 से 2016–17 तक प्रेषित करेगा। वर्ष की गणना शिक्षा सत्र के अनुसार 01 जुलाई से 30 जून तक होगी। वर्ष 2009–10 से पूर्व के वर्षों की ए0पी0आई0 गणना की आवश्यकता नहीं है।

पूर्व में यह पाया गया है कि कुछ आवेदक एक ही अभिलेख को प्रत्येक वर्ष की ए0पी0आई0 के लिए अलग–अलग संलग्न कर प्रेषित करते हैं जिससे समय, श्रम व धन का अपव्यय होता है। सुझाव दिया जाता है कि समस्त अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि को अन्त में एक बार ही संलग्न किया जाय तथा प्रत्येक वर्ष की ए0पी0आई0 के लिए उक्त संलग्नक संख्या का उल्लेख किया जाय।

सूच्य है कि वे शिक्षक, जिनका आवेदित वेतनमान दिनांक 31.12.2017 तक देय हो, वे भी ए0पी0आई0 अंकों की पूर्णता की शर्त पर यू0जी0सी0 नियमानुसार अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।

संलग्नः उक्तवत्।

भवदीय,

(डा0 बी0सी0 मलकानी)
निदेशक,उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)